

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2 (क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली 2013 के नियम-17 (क) को देखें

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हरिद्वार।

पत्रांक :: मान्यता (जू0) /2021-25 /2018-19 दिनांक :: 31 मई, 2018
सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक

श्री योगेश्वर पब्लिक स्कूल

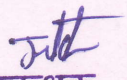
रूड़की, नारसन, हरिद्वार।

(प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक अंग्रेजी माध्यम)

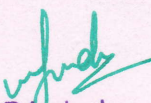
विषय-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2)के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा-पत्र दिनांक 29 मार्च 2018 के कम में आपके विद्यालय श्री योगेश्वर पब्लिक स्कूल रूड़की, नारसन, हरिद्वार (प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक अंग्रेजी माध्यम) को अधिनियम की धारा-19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की सूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद हरिद्वार में आपके विद्यालय के मान्यता कोड/पंजीकरण की संख्या...2.2.3..... हैं। भविष्य में यदि अधिनियम की सूची अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।


प्रबन्धक

श्री योगेश्वर पब्लिक स्कूल
रूड़की (हरिद्वार)


Principal

Shree Yogeshwar Public School
Link Road, Dhandhera
Roorkee

भवदीय


(ब्रह्मपाल सिंह सेनी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा)
हरिद्वार।

पृ0सं0 :: मान्यता (जू0)

/2018-19 दिनांक :: उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
- 2-जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।
- 3-खण्ड शिक्षा अधिकारी नारसन, हरिद्वार।
- 4-उपशिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) नारसन, हरिद्वार।


जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा)
हरिद्वार।